पत्रांकःव0क0अधि0/बजट/आय–व्ययक/2018–19/1117 /2019

प्रेषक,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

दिनांक :लखनऊःमार्च 19/,2019

विषयः–वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 के आय–व्ययक में आवंटन/व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में शासन द्वारा विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत बजट/अनुदान के सापेक्ष सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष का व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र शासन/वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना है, इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निम्न रूपेण निर्देशित किया गया है :–

सादर अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 समाप्त हो रहा है वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में शासन द्वारा विभाग के लिये विभिन्न मानक मदों स्वीकृत बजट अनुदान के सापेक्ष व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र शासन/वित्त विभाग व महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार इलाहाबाद को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 के बजट सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य के समयान्तर्गत सम्पादित करने के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न निर्देश समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को दिया जाना उचित होगाः–

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभागीय लेखाशीर्षक 2040 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में मुख्यालय स्तर से कुल आवंटित के सापेक्ष व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र संलग्नक विहित प्रारूप में निर्धारित तिथि से पूर्व समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।

2. मानक मद 04–यात्रा व्यय एवं अन्य मानक मदों से सम्बन्धित यदि कोई देयक भुगतान हेतु लम्बित हों तो तत्काल निर्धारित प्रारूप में अतिरिक्त राशि के धनावंटन हेतु मॉग पत्र समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध करा दिये जायें।

3. व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–3–1497/दस–2010–100(4)–ब0मैं0–टी.सी.–।। दिनांक 21.जून 2010 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटित राशि के सापेक्ष व्यय एवं बचत का विवरण पत्र भी संलग्न प्रारूप में मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।

4. वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य एरियर का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाये।

5. वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय/बचत के ऑकडे वरिष्ठ सहायक लेखा/बजट एवं तत्पश्चात मुन्सरिम एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर भी भली–भॉति परीक्षणोपरान्त मुख्यालय प्रेषित किये जायें, तॉकि अन्तिम व्यय एवं बचत के ऑकडों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना न रहे। यदि किसी भी मानक मद में आवंटित राशि के सापेक्ष बचत उपलब्ध हो तो इसकी सूचना समयान्तर्गत मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रारूपों में विलम्बतम दिनांक 25.03.2019 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय उपलब्ध कराने की कृपा करें, तॉकि शासन से प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं बचत के ऑकड़ें समायान्तर्गत शासन/वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जा सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि वरिष्ठ सहायक, (लेखा) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वांछित विवरण–पत्र दिनांक 25.03.19 तक प्रस्तुत करें।

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विहित प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आवंटन/व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण–पत्र।

कार्यालय का नामः–. . . . .

अनुदान संख्या–89 लेखाशीर्षक–2040–बिक्री,व्यापार आदि पर कर, 800–अन्य व्यय आयोजनेत्तर,04–वाणिज्यकर अधिकरण का अधिष्ठान

क्र. सं.	मानक मद एवं कोड संख्या	वित्तीय वर्ष–2018–19 में कुल आवंटित राशि	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.18 से 28.02.19 तक	वास्तविक व्यय माह मार्च–2019	वर्ष 2018–19 के कुल व्यय का सम्पूर्ण योग (4+5)	अधिक व्यय की गई धनराशि	बचत	अधिक व्यय/बचत का पूर्ण औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01– वेतन							
2	03–मंहगाई भत्ता							
3	04–यात्रा व्यय							
4	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय							
5	06–अन्य भत्ते							
6	07–मानदेय							
7	08–कार्यालय व्यय							
8	09–विद्युत देय							
9	10–जलकर/जलप्रभार							
10	11–लेखनसामग्री/फार्म छपाई							
11	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण							
12	13–टेलीफोन पर व्यय							
13	15–गाड़ियों का अनु0/पेट्रोल व्यय							
14	16–व्यावसायिक/विशेष से0 का व्यय							
15	17–किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व							
16	42–अन्य व्यय							
17	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा/अन्य प्रा0 व्यय							
18	45–अवकाश यात्रा व्यय							
19	46–कम्प्यू0 हार्ड0/साफ्ट0का कय							
20	47–कम्प्यू0अनु0/स्टेशनरी का कय							
21	49–चिकित्सा व्यय							
22	51–वर्दी व्यय							
23	52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)							
	सम्पूर्ण योग–——							

समस्त विवरण की जॉंच किया और सही पाया।
वरिष्ठ सहायक(लेखा/बजट)/मुन्सरिम के हस्ताक्षर

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम–...

वित्तीय वर्ष 2018–2019

व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक् वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–3–1497/दस–2010–100(4)–ब.मे.–टी.सी.–।। दिनांक 21 जून–2010 मे दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत ग्रुपवार आवंटन/व्यय एवं बचत का विवरण पत्र।

ग्रुप	मानक मद	कुल आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत	औचित्य
ग्रुप–1	01–वेतन 03–महंगाई भत्ता 06–अन्य भत्ते 49–चिकित्सा व्यय					
	कुल योग					

ग्रुप–2	04–यात्रा व्यय 05–स्था0 यात्रा व्यय 45–अव0 यात्रा व्यय					
	कुल योग					

ग्रुप–3	08–कार्यालय व्यय 11–लेखनसामग्री फार्मो की छपाई 42–अन्य व्यय 51–वर्दी व्यय					
	कुल योग					

ग्रुप–4	09–विद्युत देय 10–जलकर/जल प्रभार 17–किराया उपशुंल्क कर स्वामित्व					
	कुल योग					

विवरण पत्र चैक किया तथा सही पाया।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वरिष्ठ सहायक लेखा/बजट/मुंसरिम के हक्ताक्षर